न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 335/2025

प्रार्थी :–

1. गोकलराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी बोयल तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मदरूपराम उर्फ मदनराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी – श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थीसं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 2– सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> दिनांक :– 21/04/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बन्ध जसवन्तसागर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 47 बीघा स्थित है। यह भूमि रामदीन पुत्र रतनाराम, पुखाराम पुत्र गोपाराम, ओमाराम पुत्र चुतराराम, मदनराम उर्फ मदरूपराम पुत्र जोगाराम जातियान जाट 2/3 हिस्सा तथा जसाराम पुत्र रेवतराम जाति राईका 1/3 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी की थी। जो जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 वास्ते सबूत साथ में पेश है। ग्राम बन्ध जसवन्तसागर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 47 बीघा की खातेदारी भूमि में मदनराम उर्फ मदरूपराम पुत्र जोगाराम का 2/3 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि 7 बीघा 17 बिस्वा का वैचान प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया। जो रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 13.03.2018 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1635 दिनांक 07.06.2019 को स्वीकृत किया गया एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी को खातेदार दर्ज कर दिया गया। जो जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 से स्पष्ट है। प्रार्थी ने पिछले माह अफवाह सुनी कि उनकी खरीदशुदा की खातेदारी की उपरोक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटा दिया गया है तो प्रार्थी ने दिनांक 13.06.2025 को पटवारी हल्का से भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 47 बीघा के राजस्व रेकर्ड के बारे में जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि जमाबन्दी में आपका नाम दर्ज नही है और कहा कि जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के बाद डीआरएलएमपी योजना के तहत भूमि की अलग अलग जमाबंदी को तैयार किया गया, उसमें आपका नाम नहीं लिखकर पुनः अप्रार्थी का नाम दर्ज हो गया है। आप न्यायालय से शुद्धी करवाओ तब आपका नाम रेकर्ड में दर्ज किया जायेगा। जिस पर प्रार्थी दिनांक 16.06.2025 को तहसील कार्यालय बिलाड़ा गये और अपने तहसीलदार जी से सम्पर्क किया और रेकर्ड में शुद्धि का निवेदन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा

किया तब तहसीलदार जी ने प्रार्थी को कहा कि आप न्यायालय से शुद्धि करवाओ तब आपका न्यायालय निर्णय के अनुसार रेकर्ड में नाम दर्ज कर दिया जायेगा। पद संख्या में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 47 बीघा की जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 को देखने से मालूम पड़ता है कि उसमें प्रार्थी गोकलराम पुत्र धन्नाराम खातेदार के रूप में इन्द्राज है। उसके बाद आगे की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 को देखने से मालूम पड़ता है कि उसमें पटवारी हल्का द्वारा बीना कोई आधार से प्रार्थी गोकलराम का नाम जमाबन्दी से हटाकर वापिस अप्रार्थी मदरुपराम उर्फ मदनराम पुत्र जोगाराम का नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी गोकलराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने से पहले प्रार्थी को कोई नोटिस या सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया, अतः सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन केवल म्यूटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश से या बैचान हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन का किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है तथा न कोई म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। अतः पटवारी द्वारा बीना आधार एवं अनाधिकृत तौर से रेकर्ड से खातेदारी को हटाकर भूल की गयी है, जिसे पुनः खातेदार को इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम बन्ध जसवन्तसागर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 5/5 रकबा 1.2701 हैक्टेयर की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की दुरुस्ती की जाकर उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 5/5 रकबा 1.2701 हैक्टेयर में मदनलाल पुत्र जोगाराम का नाम हटाकर उसके स्थान पर प्रार्थी गोकलराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी बोयल तहसील पीपाड़शहर का नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें। अन्य कोई उचित आदेश प्रार्थी के पक्ष में हो अता फरमावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी पिचियाक की रिपोर्ट बैचान का नोट अंकन किया गया है। अंकित नोट अनुसार मदनराम पुत्र जोगाराम ने अपनी सम्पूर्ण भूमि का बैचान गोकलराम पुत्र धन्नाराम के हिस्से में किया है। जिसका नामान्तकरण सं. 1635 ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 07.06.2019 के प्रस्ताव सं. 02 में स्वीकृत किया गया है जिसका राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। तत्पश्चात खसरा सं. 5 का विभाजन होने के कारण नवीनतम जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में खाता सं. 129 खसरा सं. 5/5 रकबा 1.2701 किस्म बारानी दोयम में मदनराम पुत्र जोगाराम का नाम रेकार्ड है। नामान्तरकरण सं. 1635 के आधार पर मदनलाल पुत्र जोगाराम के स्थान पर संशोधित कर

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

गोकलराम पुत्र धन्नाराम का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया है तो भूमिधारी को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उल्लेख है कि काश्तकार मदनराम द्वारा अपनी भूमि का बैचान गोकलराम पुत्र धन्नाराम के हिस्से में किया गया। जिसका नामान्तरकरण सं. 1635 ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 7.6.2019 के प्रस्ताव सं. 2 में स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात खसरा सं. 5 का विभाजन होने के कारण नवीनतम जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खाता सं. 129 खसरा सं. 5/5 में मदनलाल पुत्र जोगाराम के नाम दर्ज है ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2073 से 2076 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी का नाम गोकलराम पुत्र धन्नाराम के स्थान पर गलत नाम मदनलाल पुत्र जोगाराम दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा के नामान्तरकरण सं. 1635 के आधार पर मदनलाल पुत्र जोगाराम के स्थान पर गोकलराम पुत्र धन्नाराम किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 21/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा